

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सतना म.प्र.

विधान सभा प्र.क.. 885

लिपिक सर्वर्ग के जिलान्तर्गत स्थानांतरण हेतु प्राप्त प्रस्ताव सूची

स.क्र.	नाम	स्थान	कार्यभार परकाय	स्थानांतरण हेतु प्रस्तावित संस्था	स्थानांतरण का प्रकार	स्थानांतरण न होने का कारण
1	श्रीमती सरीता सिंह	क०न०प०पी०	कार्या. वि. ख. शि. अ. नगौर	शा. उमादे. ब्क०-२ सतना अथवा कर्णालय वि. ख. शि. अ. कार्या. वि. ख. शि. अ. सतना	स्वीच्छक	स्थानांतरण नीति 2021 की कड़ीका 20 के अनुक्रम में कार्यालय प्रमुख की अनुमति नहीं अतः स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है।
2	श्री हरशरण सिंह	क०न०प०पी०	कार्या. वि. ख. शि. अ. सतना	कार्या. वि. ख. शि. अ. सोडरस, कार्या. वि. ख. शि. अ. सतना	स्वीच्छक	1. पूर्व में इस कार्यालय में पदस्थ रह चुके हैं। 2. पदस्थापना स्थल में पद रिक्त हो जायेगा। 3. स्थानांतरण नीति 2021 के विन्दु क. 19 के प्रतिकूल अतः स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है।
3	श्री नरेश चरण सिंह	तेजापुर	शा. हार्डरस क-थ कोठी	शा. उमादे. ब्क०-१ / ब्क०-२ / सुरवाण / टिफुरियाटला	स्वीच्छक	1. इनके स्थानांतरण होने से विद्यालय में लेखापाल का पद रिक्त हो जायेगा तथा विद्यालय लिपिक विहीन हो जायेगा। 2. स्थानांतरण नीति 2021 की कड़ीका 20 के अनुक्रम में प्रत्यक्ष की अनुमति नहीं अतः स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है।
4	श्रीमती सीटा अश्विकार	डेहवास	कार्या. वि. ख. शि. अ. नगौर	शा. उमादे. ब्क०-२ सतना	स्वीच्छक	स्थानांतरण नीति 2021 के विन्दु क. 19 के प्रतिकूल अतः स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। इनके स्थानांतरण होने से संस्था लिपिक विहीन हो जायेगी।
5	श्री प्रबल कुमार श्रीवास्तव	सहायक वर्ग-२	डाइरेट तला	कार्या. वि. ख. शि. अ. सतना	स्वीच्छक	1. माननीय जिला कलेक्टर सतना के कार्यालय से आवेदन प्राप्त। 2. पूर्व में इस कार्या. में पदस्थ रह चुके हैं। 3. स्थानांतरण नीति 2021 के विन्दु क. 19 के प्रतिकूल कार्यालय प्रमुख द्वारा अनुमति नहीं। 3. स्थानांतरण नीति 2021 की कड़ीका 12 के प्रतिकूल, कड़ीका 25 के प्रतिकूल शिक्षक पदोन्नति में दोषी ठहरे थे अतः स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है।
6	श्री अभिनव सिंह	सहायक वर्ग-३	कार्या. वि. ख. शि. अ. अशिकरी सतना	कार्या. वि. ख. शि. अ. नगौर	स्वीच्छक	1. सुधा उमेश प्रताप सिंह अथवा जिला पंचायत सतना के द्वारा अथवा रखने की अनुमति की गई है। 2. स्थानांतरण नीति 2021 के विन्दु क. 19 के प्रतिकूल कार्यालय प्रमुख द्वारा अनुमति नहीं अतः स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है।
7	श्री विनायक शारदा	सहायक वर्ग-३	शा. उमादे. कोठी	शा. उमादे. क०न०प०प०	स्वीच्छक	1. नियुक्ति दिनांक 14.08.2018 इनके स्थानांतरण से विद्यालय लिपिक विहीन हो जायेगा। 2. स्थानांतरण नीति 2021 की कड़ीका 20 के अनुक्रम में कर्णालय प्रमुख द्वारा अनुमति नहीं अतः स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है।
8	श्री प्रकाशचंद्र मिश्रा	सहायक वर्ग-३	कार्या. वि. ख. शि. अ. अनरथाटन	शा. उमादे. ब्क०-२ सतना	स्वीच्छक	स्कूल शिक्षा स्थानांतरण नीति दिनांक 12-07-2021 के विन्दु क. 5 के अनुक्रम में सी. एम. राइज विद्यालय में स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है।

पशिष्ट 'एक'

नगौर

अनुभाग अधिकारी  
स्कूल शिक्षा विभाग

9	श्रीमती सरवील कौर बग्गा	सहायक बर्ग-3	शा.उमावि.कोर	शा.उमावि.नकर-2 सतना	स्वीडिक	स्थानांतरण नीति 2021 को कोडिका 20 के अनुक्रम में कार्यालय प्रमुख की अनुमति नहीं अतः स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। सी.एम. राइज बनाम विद्यालय है।
10	श्री देव प्रसाद शुभावाहा	सहायक बर्ग-3	शा.उमावि.बातक जैतघरा	शा.उमावि.कासीगोही	स्वीडिक	स्थानांतरण नीति 2021 की कोडिका 20 के अनुक्रम में कार्यालय प्रमुख की अनुमति नहीं अतः स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है।
11	श्री अजित कुमार द्विवेदी	सहायक बर्ग-3	काना.वि.बी.शि.आ. मझगवा	शा.उमावि.उरकु.मझगवा	स्वीडिक	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ अवन चौपाल के द्वारा कर्मिक एक 01-26/2021/20-1 दिनांक 12-07-2021 स्थानांतरण नीति 2021 के विन्दु क. 5 के अनुक्रम में स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। सी.एम. राइज बनाम विद्यालय है।
12	श्री श्याम किशोर वर्मा	सहायक बर्ग-3	शा.उरकुट उमावि. शैवाल	शा.उमावि.चकर -2/विकासखण्ड शिक्षा.अधिकारी सोलवल/अइद सतना	स्वीडिक	1. स्कूल शिक्षा स्थानांतरण नीति दिनांक 12-07-2021 के विन्दु क. 5 के अनुक्रम में उरकुट विद्यालय होने के कारण स्थानांतरण नहीं किया जा सकता 2. स्थानांतरण नीति के विरुद्ध
13	श्री कैलाश प्रसाद रावत	सहायक बर्ग-3	शा.उमावि.कन्या मुकुन्दपुर	शा.उमावि.कठहा	स्वीडिक	स्थानांतरण नीति 2021 के विन्दु क. 19 के प्रतिस्कूल अतः स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। इनके स्थानांतरण होने से माया विधिक विहीन हो जायेगी।
14	श्री राघवेंद्र प्रसाद तिवारी	सहायक बर्ग-3	शा.उमावि.इचौल	शा.उमावि.करही कला विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी उवेहर, शा.उमावि.कुलगाही	स्वीडिक	स्थानांतरण नीति 2021 के विन्दु क. 19 के प्रतिस्कूल अतः स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। इनके स्थानांतरण होने से माया विधिक विहीन हो जायेगी।
15	श्री आयुजीव नामदेव	सहायक बर्ग-3	श्रीदुआ सोलवल	जिला शिक्षा अधिकारी सतना	स्वीडिक	1. पूर्व में इस कार्यालय में परराज पर दूके है 2. स्थानांतरण नीति दिनांक 24-06-2021 की कोडिका 25 के प्रतिस्कूल अतः के कारण स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है।

जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला सतना, म.प्र.

अनुभाग अधिकारी  
स्कूल शिक्षा विभाग